

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- नगर निगम, छपरा में पूर्व में पथ एवं पुलिया निर्माण मद अंतर्गत स्वीकृत योजना के लिए देनदारी की राशि कुल ₹18.70831 लाख (अठारह लाख सत्तर हजार आठ सौ एकतीस रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगर निगम, छपरा में पथ एवं पुलिया निर्माण मद की निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को स्तम्भ- 4 में अंकित राज्यादेश द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 7 के अनुरूप राशि आवंटित की गई थी। आवंटित राशि के व्ययोपरांत अवशेष राशि की अधियाचना नगर आयुक्त, नगर निगम, छपरा के पत्रांक- 19, दिनांक- 07.01.2020 द्वारा किया गया है।

2. उक्त अधियाचना एवं अधियाचना पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ्स पर अंकित राशि के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित योजना के लिए स्तम्भ- 8 में अंकित कुल राशि ₹18.70831 लाख (अठारह लाख सत्तर हजार आठ सौ एकतीस रु०) मात्र की स्वीकृति पथ एवं पुलिया निर्माण मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)							
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश / दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा के अनुसार व्यय की जाने वाली कुल राशि (सेन्टेज सहित)	पूर्व में आवंटित राशि	स्वीकृत अवशेष राशि (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम, छपरा	सरकारी बस स्टैंड कोन्हीया माई मंदिर से अम्बेदकर छात्रावास होते हुए जंक्शन तक जाने वाली सड़क निर्माण का कार्य।	89/ 03.01.18	40.40300	38.90981	20.20150	18.70831

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹18.70831 लाख (अठारह लाख सत्तर हजार आठ सौ एकतीस रु०) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत ₹18.70831 लाख (अठारह लाख सत्तर हजार आठ सौ एकतीस रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019 एवं पत्रांक- 733, दिनांक- 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, छपरा के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
4. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
6. उक्त स्वीकृत ₹18.70831 लाख (अठारह लाख सत्तर हजार आठ सौ एकतीस रु०) मात्र की निकासी निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0102-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217037890102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।
7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/बजट-14-11/2019 के पृष्ठ सं०-.....32...../टि० पर दिनांक-04.12.2020 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....33...../टि० पर दिनांक-06.03.2020 को प्राप्त है।

3

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला पदाधिकारी, सारण/नगर आयुक्त, नगर निगम, छपरा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/बजट-14-11/2019 252 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-16/03/2020
प्रतिलिपि:- आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला पदाधिकारी, सारण/नगर आयुक्त, नगर निगम, छपरा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, बुडको, मुजफ्फरपुर/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.03.2020
सरकार के विशेष सचिव।